



मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , इंदौर

जी पी एच कैम्पस पोलोग्राउंड इंदौर

फोन-07312426277, फैक्स-07312423300

क्र.प्रनि/पक्ष/01/डीजीएम-एचआर/ 15565

इंदौर, दिनांक 25 SEP 2025

विज्ञप्ति

ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षता प्रशिक्षण 2025-26

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड , इंदौर, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी/एस. सी.वी.टी) उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट (कोपा), स्टेनो (हिंदी) में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षता प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

1. ट्रेडवार उपलब्ध सीट :-

स.क्र.	ट्रेड	कुल ट्रेड अप्रेंटिस संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग
4.	इलेक्ट्रिशियन	75	28	12	15	20	03
5.	कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट (कोपा)	95	35	15	19	26	04
6.	स्टेनो (हिंदी)	41	15	07	08	11	02
	कुल	211	78	34	42	57	09

2. आरक्षण एवं आयु में छूट:-

- चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण शिक्षता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि आरक्षित संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जाएगा, तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
- सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु दिनांक 01.01.25 को 18 वर्ष होनी चाहिए।

III. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

IV. विद्युत कार्य हानिकारक होने के फलस्वरूप दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु कोई पद आरक्षित नहीं है।

3. चयन प्रक्रिया-

I. आहर्ता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के मापदण्ड अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात प्राप्त आवेदनों में आई.टी.आई ट्रेड में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट आधार) में ट्रेडवार उपलब्ध रिक्तियों अनुसार चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर रिक्त पदों हेतु वेटिंग लिस्ट से चयन किया जावेगा।

II. योग्य उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।

III. निर्धारित समयावधि में जॉइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

4. मैदानी प्रशिक्षण- ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण कंपनी के निम्न कार्यालयों के अधीनस्थ प्रदाय किया जावेगा, ट्रेडवार एवं कार्यालयवार उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्यालय	इलेक्ट्रिशियन	कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट (कोपा)	स्टेनो (हिन्दी)	कुल
1	कॉर्पोरेट कार्यालय, इंदौर	0	5	7	12
2	क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर	0	2	2	4
3	क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन	0	2	2	4
4	शहर वृत्त इंदौर	5	6	2	13
5	संचा:संधा वृत्त इंदौर	5	6	2	13
6	संचा:संधा वृत्त धार	5	6	2	13
7	संचा:संधा वृत्त झाबुआ	5	6	2	13
8	संचा:संधा वृत्त खंडवा	5	6	2	13
9	संचा:संधा वृत्त खरगोन	5	6	2	13
10	संचा:संधा वृत्त बुरहानपुर	5	6	2	13
11	संचा:संधा वृत्त बड़वानी	5	6	2	13
12	संचा:संधा वृत्त उज्जैन	5	6	2	13
13	संचा:संधा वृत्त देवास	5	6	2	13
14	संचा:संधा वृत्त रतलाम	5	6	2	13
15	संचा:संधा वृत्त आगर	5	5	2	12
16	संचा:संधा वृत्त शाजापुर	5	5	2	12
17	संचा:संधा वृत्त मंदसौर	5	5	2	12
18	संचा:संधा वृत्त नीमच	5	5	2	12
	कुल	75	95	41	211

5. स्टाईपेंड - अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह निम्नानुसार स्टाईपेंड प्रदाय की जावेगी:-

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	स्टाईपेंड
क	आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी/एस. सी.वी.टी) (एक वर्षीय)	रु.7700/- प्रतिमाह
ख	आई.टी.आई.(एन.सी.वी.टी/एस. सी.वी.टी) (दो वर्षीय)	रु.8050/- प्रतिमाह

6. चिकित्सा/ स्वास्थ्य मानक :

- I. किसी भी योग्य व पात्र आवेदन का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस सर्टिफिकेट जो की जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो में फिट होने के आधार पर ही किया जावेगा।
- III. दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक उसमें अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जाएगा।

7. आवेदन प्रक्रिया :-

- I. योग्य उम्मीदवार वैबसाइट www.apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण करावें ।
- II. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत अपना आवेदन संलग्न प्रपत्र में निर्धारित प्रविष्टि कर एवं दस्तावेज संलग्न कर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कंपनी मुख्यालय में दिनांक 01/10/25 से 31/10/25 तक प्रेषित कर सकते हैं।
- III. आवेदन के संदर्भ में अन्य जानकारी mppkvcl.apprentice@gmail.com पर ई-मेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
- IV. पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला शिक्षता अधिकारी तथा आवेदन में कठिनाई होने पर जिला शिक्षता अधिकारी/संबन्धित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है,

8. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें :-

- I. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें की शिक्षता प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गयी सभी जानकारी सही है, तथा उन्होंने पूर्व में किसी अन्य नियोजक के अंतर्गत शिक्षता प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया है।
- II. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन के उपरांत यह ज्ञात होता है की, उम्मीदवार निर्धारित आहर्ताओं को पूरा नहीं करते हैं अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी या चयन को निरस्त कर दिया जावेगा।
- III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गयी कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी।
- IV. उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप पोर्टल में किये गए पंजीकरण profile में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो "Edit my profile" में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं।

- V. विज्ञापन के आधार पर किए गए आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु शिक्षता अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानानुसार के आधार पर किया जावेगा।
- VI. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि इंदौर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- VII. शिक्षता अवधि में उम्मीदवारों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस एच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- VIII. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- IX. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि इंदौर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
- X. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- XI. कंपनी अप्रेंटिस ट्रेनी को आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यालयवार विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है।
- XII. उम्मीदवार ध्यान रखे की, शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि इंदौर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
- XIII. शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 21(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षता प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।


मुख्य महाप्रबंधक (मा.स. एवं प्रशा.)

संलग्न: आवेदन प्रपत्र

ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रपत्र
(केवल म.प्र. मूल निवासी आवेदकों हेतु)

पासपोर्ट साइज
फोटो

प्रति,

उप महाप्रबंधक (मा.स.),

प्रशिक्षण सेल, कार्पोरेट कार्यालय

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

जी.पी.एच. कम्पाउंड, पोलोग्राउण्ड इन्दौर (म.प्र.) 452003 ।

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पिता/ पति का नाम :
3. अप्रेंटिसशिप पोर्टल पंजीकरण क्र.
4. लिंग (महिला/पुरुष) :
5. जन्म तिथि : आयु दिनांक 01.01.25
6. पत्र व्यवहार का पता :
7. ई-मेल आई.डी :
8. मोबाइल/ फोन नंबर :
9. स्थायी पता :
10. वर्ग-अनारक्षित/अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग
11. आईटीआई योग्यता एवं ट्रेड :

शिक्षण संस्थान का नाम एवं पता	ट्रेड	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

12. प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु मैदानी कार्यालयों के तीन विकल्प: 1..... 2..... 3.....
मैं पिता/पति अपने संपूर्ण ज्ञान के आधार पर घोषणा करता हूँ/ करती हूँ की
आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। यदि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण/असत्य पायी जाती है तो मेरा
आवेदन निरस्त होने हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक सहपत्र (सत्यापित/ स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियाँ) :-

1. म.प्र.मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
2. शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज जैसे आईटीआई प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियाँ ।
3. 10 वीं की अंकसूची/ जन्म प्रमाण पत्र ।
3. जाति प्रमाण पत्र अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का प्रमाण पत्र ।
4. आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए) ।
5. आधार कार्ड ।

नोट:- 1. आवेदन पत्र डॉक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यालय में प्रेषित करें अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा करावें ।

2. प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु मैदानी कार्यालयों के विकल्प ट्रेड अप्रेंटिस की विस्तृत विज्ञप्ति में उल्लेखित है।